(18)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
## सदस्य

प्रकरण क्रमांक पुर्नविलोकन—108—एक/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—11—2016 के द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1971/दो/2016.

.....

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर जिला अशोकनगर
म0 प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

कु0 अजय प्रताप सिंह पुत्र
श्री राव देशराज सिंह यादव
निवासी तायडे कालोनी अशोक नगर
जिला अशोक नगर म0प्र0 —— अनावेदक

.....

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक एक पक्षीय

.....

## आदेश

(आज दिनांक 10/07/2017 को पारित )

आवेदक द्वारा यह पुर्नविलोकन राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—11—2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है ।

2— प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम अस्थाई खेड़ा स्थित भूमि सर्वे न0 696/1 एवं 696/2 का नक्शा जीर्ण—क्षीर्ण है, ऐसी स्थिति में नया नक्शा में दुरस्ती यथावत की जाये। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा प्रकरण कार्यवाही हेतु

तहसील न्यायालय को भेजा गया। वहां प्रकरण कमांक 27/बी–121/2014–15 पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक, पटवारी से ग्राम अस्थाई खेड़ा में स्थिति सर्वे न0 696/1 एवं 696/2 के चालू नक्शा में बंटाकन तरमीम करने हेतु प्रस्ताव दिये गये जिस पर आपत्तिकर्ता राधाकिशन पुत्र श्री बाबूलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई एक अन्य अपत्ति सतीश जैन, प्रमोद कुमार जैन एवं अंशूल जैन द्वारा प्रस्तुत की गई। अंत में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार द्वारा निरस्त कर भूमि सर्वे न0 696/1 रकवा 1.000 है0 शासकीय में से अतिकमण का प्रकरण इसी न्यायालय में संचालित था तथा सर्वे न0 696/2 आवेदक अजय प्रताप सिंह के नाम भूमिस्वामी अंकित नहीं था ऐसी स्थिति में इसी न्यायालय में प्रकरण संचालित होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया इसी से परिवेदति होकर अनावेंदक द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 1971–दो/16 पर दर्ज होकर उसमें दिनांक 17.11.16 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया इसी से परिवेदित होकर शासन द्वारा यह पुर्नविलोकन इस न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

3–आवेदक शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत एवं उचित है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया था लेकिन न्यायालय द्वारा अनदेखी करते हुये विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि उक्त प्रकरण में ग्राम पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया है कि नक्शा जीर्ण क्षीर्ण है तथा नक्शा बन गया है इस संबंध में ग्राम पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित नक्शा दिया है उस पर अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार उपरांत ही आदेश दिनांक 18.4.16 पारित किया गया है जो विधि प्रावधानों से उचित था इसलिये माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक/पटवारी से ग्राम अस्थाई खेड़ा में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 696/1 एवं 696/2 के चालू नक्शा में बटांकन तरमीम करने हेतु प्रस्ताव दिये उसी के उपरांत विधिवत तरीके से तहसीलदार का आदेश दिनांक 18.4.2016 पारित किया है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा तहसीलदार

के आदेश को अनदेखा करते हुये जो आदेश दिनांक 17.11.2016 पारित किया है वह विधि के प्रावधानों से उचित नहीं है इसलिये निरस्त किया जावे। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक शासन का पुर्नविलोकन स्वीकार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2016 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4— अनावेदक को पूर्व में सूचना दी गई लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई । आवेदक शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्क सुने । पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र में वर्णित आधारों के परिप्रेक्ष्य में शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं न्यायदान की दृष्टि से न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1971—दो / 2016 में आये तथ्यों पर भी विचार किया गया । प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि आदेश दिनांक 17.11.2016 से ग्राम अरथाई खेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 696 / 1 एवं 696 / 2 के नक्शा तरमीम किये जाने के निर्देश तहसीलदार मुंगावली को इस आधार पर दिये गये थे कि राजस्व निरीक्षक वृत्त एक ग्राम अरथाई खेड़ा ने प्रतिवेदन दिनांक 13.01.2016 में पुराने जीर्ण—क्षीर्ण नक्शा अनुसार मौका स्थल पर ग्राम पंचो के बताये अनुसार तरमीम करना प्रस्तॉवित किया था, किंतु आदेश दिनांक 17.11.2016 पारित करते समय यह तथ्य दृष्टि ओझल हो गया कि उक्त सर्वो न0 का नक्शा पूर्व से जीर्ण—क्षीर्ण है जिसके आधार पर नक्शा दुरस्ती करना संभव नहीं था, वेसे भी म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अन्तर्गत नक्शा में सुधार करने की अधिकारिता कलेक्टर को है, तहसीलदार / नायब तहसीलदार को संहिता की धारा 68 सहपठित धारा 70 के अन्तर्गत खसरे में अंकित बड़े भू—भाग को बंटाकन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन आवेदन में दर्शाये गये आधर मानने योग्य है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1971 / दो / 2016 में पारित आदेश दिनांक 17.11.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर